न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 62/2024

विवेक शर्मा निवासी जोशीयों का मौहल्ला पुरानी टोंक जिला टोंक राज0
--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 26.11.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन अपील पेश की है। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक को आनॅलाइन आवेदन पत्र दिनांक 14.09.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

1 आर सेटी टोंक में जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक कितने प्रतिभागियों को लोन सुविधा से जोड़ा गया

2 सभी प्रतिभागियों को संस्थान की सहायता से किस किस बैंक से लोन दिलवाया गया कितने का दिलवाया गया व किस शाखा से दिलाया गया सूचना अंतर्गत जानकारी प्रदत करें

3 सभी प्रतिभागियों की biomatric उपस्थिती उपलब्ध कराए तथा बोर्डिंग रजिस्टर की छाया प्रति उपलब्ध कराए।

4 आर सेटी टोंक के निदेशक द्वारा कितने EAP व followup किए गए सूचना प्रदान करे व मूवमेंट रजिस्टर की छाया प्रति उपलब्ध कराए

5 आर टोक के निदेशक द्वारा कितने लोन आवेदन बैंक शाखाओं में भेजे गए unme से कितने sanction हुए कितने disbursement हुए व कितने पेंडिंग है

6 पिछले एक वर्ष में आर सेटी टोक में कितनी बार ऑडिट की गयी व खर्चों को जांचा गया

7 आर सेटी के दोनों संकाय द्वारा जुलाई व अगस्त 2024 में कितना कितना यात्रा पुनर्भुगतान संस्थान से लिया

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1613 दिनांक 28.10.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 800 दिनांक 05.11.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा आनॅलाईन आवेदन दिनांक 16.09.2024 तत्कालीन अति0 जिला कलेक्टर, टोंक श्री सुरेश चौधरी के ऑनलईन पोर्टल पर नहीं

जिला कलेक्टर
टोंक

किया जाकर पूर्व अति0 जिला कलेक्टर श्री सूरज सिंह नेगी के ऑनलाईन पोर्टल पर किये जाने के कारण इस कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है। जिसके संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 801–802 दिनांक 05.11.2024 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है। लोक सूचना अधिकारी (प्रबंधक, ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाईट रोड टोंक) द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाने कि स्थिति में अपीलान्ट उनके प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील करने हेतु स्वतंत्र है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर टोंक